ई–19661

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2022**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) बाढ़ सुरक्षा कार्य वृहद निर्माण मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4057/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (टी0एस0पी0), दिनांक 11.11.2021 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (टी0एस0पी0) बाढ़ सुरक्षा कार्य वृहद निर्माण मद के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी 03 योजनाओं (संलग्नक–1) की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 432.99 लाख (रूपये चार करोड़ बत्तीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 173.19 लाख (रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।
6. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः..............2

9. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार चालू कार्यों में ही किस्तों में किया जायेगा। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
11. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उक्त स्थल की Geo Tagging तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य का Third Party Audit कराया जाय।
12. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय--समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
13. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
14. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण--पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
15. जो आगणन शासन को उपलब्ध कराये गये हैं, उन कार्यों को उसी दरों पर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये तथा उक्त कार्यों के आगणनों को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। यदि उक्त दरों पर गठित आगणनों पर कार्य कराया जाना सम्भव न हो तो कार्य प्रारम्भ न कराया जाय।
16. उक्तानुसार आवंटित धनराशि को तत्काल कार्यदायी संस्था/आहरण वितरण अधिकारी को अवमुक्त कर दी जाय, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
17. शासनादेश सं0--236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या--391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गए दिशा-- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय एवं वित्त विभाग द्वारा समय--समय पर निर्गत शासनादेशों दिशा--निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाय।

2-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2022--23 में अनुदान संख्या--31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक--4711--01--103--03--01--53--वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3-- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या--।/62165/2022, दिनांक 06.09.2022 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 29-09-2022 18:13:42

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई पत्रावली संख्या–19661 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून/उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक

(धनराशि ₹ लाख में)

क0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता में ग्राम खारसी की चैमा खेडा स्थित भूमि की बैराव–खारसी खड्ड से कटाव निरोधक पुनरीक्षित योजना। **(घोषणा संख्या–668/2021)**	240.72	96.29
2	टी0एस0पी0 मद के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विकासखण्ड सितारगंज के ग्राम नकुलिया की कैलाश नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।	110.16	44.06
3	जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत गदरपुर विकासखण्ड की भाखडा नदी से ग्राम कुल्हा में हुये भू–कटाव को रोकने हेतु सुरक्षात्मक कार्य।	82.11	32.84
	योग	**432.99**	**173.19**

(रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 30-09-2022 15:29:12

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।